

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर एवं जमानपद अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर) राज० मुकाम मसूदा  
 श्रीमति सोहनी बनाम राजस्थान सरकार  
 ज/स 136 LR Act नं. 11/2018  
 जिल्ला मुकदमा सं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/2/18	<p>पत्नील प्रार्थी उपस्थित। जाचें रीपोर्ट ले जारी हें। प्रार्थी पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की तलबी एंड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 23/18 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चावला)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) राज०</p>	दिनांक 1956
20/4/18	<p>प्रार्थी व उसके कानिल उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में पेश करने हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत में पेश किया जाता है। पत्रावली दिनांक 22/5/18 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चावला)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) राज०</p>	
22/5/18	<p>पत्रावली आज लोक अदालत च्याय आपके हार आज फ्याचर मुख्यालय डेवास पर पेश हुआ। लक्ष्मीलाल विजयपुर, सरपंच की तस्दीक के आधार पर राम देवपुर के कोठा नम्बर 182, 197, 198, 201, 248 में प्रार्थी का नाम सोहनी पति मेधा के साथ पत्र दर्ज कर सोहनी पति मेधा के नाम पर के आदेश पारित किए जाते हैं। आदेश पत्र के अलावा ही मिसल फॉर्मल शुआर लेकर नम्बर के कम हो बाद इफ्तार दायित्व है।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चावला)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) राज०</p>	<p>30/5/18</p> <p>सोहनी</p> <p>लोक अदालत मसूदा (अजमेर)</p>

